मिसल नम्बर 85/2019
निर्णय दिनांक 03–10–2019

राजस्थान सरकार

# न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह (RTS)
मिसल नम्बर :– 85/2019

## सरकार

बनाम

जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र भागुराम सैनी जाति माली निवासी ढ़ाणी लोढ़ा तन् काली पहाड़ी, पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

.....गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 03–10–2019

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल स्वयं उपस्थित। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का **पपुरना** के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम **काली पहाड़ी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3921 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.15 हेक्टेयर पर व खसरा नम्बर 3923 रकबा 0.36 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.18 हेक्टेयर पर फसल बाजरा उगाकर गैर सायल ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल ने जबाब नोटिस इस आशय का पेश किया है कि ग्राम काली पहाड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 3921, 3923 रकबा क्रमशः 0.44 हे0 व 3923 में रकबा 0.36 हे0 गैर मुमकीन पहाड़ पर बाजरा काश्त कर क्रमशः 0.15 हे0 व 0.18 हे0 पर अतिक्रमण करना बताया गया है जो सही है। उक्त भूमि प्रार्थी सन् 2004 से पूर्व से काश्त करते आ रहे है सबूत के तौर पर सन् 2004 से आज तक की पेनेल्टी की रसीद प्रार्थी के पास है तथा उक्त भूमि मेरी खातेदारी भूमि से सटी हुई मेरी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3920 है। उसी से सटी हुई है। राज्यादेशानुसार उक्त भूमि नियमन योग्य है।

अतः जबाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का नियमन करने की अभिशंषा फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी महोदय (आवंटन अधिकारी) के कार्यालय में भिजवाई जाने की कृपा की जावे।

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner

गैर सायल को सुना गया। गैर सायल ने प्रश्नगत भूमि की गैर सायल के पक्ष में नियमन की सिफारिश किये जाने का निवेदन किया।

गैर सायल ने प्रश्नगत राजकीय भूमि पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण की बाबत पुराना कब्जा होने की ताईद में कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है।

पत्रावली पर उपलब्ध जबाब नोटिस धारा 91 व पटवारी हल्का पपुरना की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल ने राजस्व ग्राम **काली पहाड़ी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3921 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.15 हेक्टेयर पर व खसरा नम्बर 3923 रकबा 0.36 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.18 हेक्टेयर पर फसल बाजरा उगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। प्रश्नगत भूमि की किस्म गैर मुमकीन पहाड़ है जिसका निजी प्रयोजनार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 में भी किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के निजी आवंटन/नियमन की बाबत भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का पपुरना की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

## –: आदेश :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का पपुरना के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम **काली पहाड़ी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3921 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.15 हेक्टेयर पर व खसरा नम्बर 3923 रकबा 0.36 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.18 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 01 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का व **फसल बाजरा को राजहक में जप्त कर निलाम किये जाने का आदेश दिया जाता है।** तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का **पपुरना** से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की प्रश्नगत भूमि से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03–10–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner